प्रेषक,

आयुक्त
ग्राम्य विकास
उत्तर प्रदेश।

सेवामें,

मुख्य विकास अधिकारी
बहराइच, गोरखपुर, बलिया, खीरी, श्रावस्ती, बलरामपुर, महराजगंज, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, गोण्डा, ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, मिर्जापुर, सोनभद्र एवं चन्दौली।

पत्रांक: जीओ 218/सम्प्रेक्षा/महामाया आ0यो0/07 08 दिनांक 12 मार्च 2008

विषय: वित्तीय वर्ष 2007 08 के आय व्ययक के अनुदान सं0 83 में अनुसूचित जाति आवास योजना (महामाया आवास योजना) की व्यवस्थित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या 504/26 ब0प्र0 2007 13ब/2006, दिनांक 20 12 2007 का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा अनुसूचित जाति आवास योजना (महामाया आवास योजना) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2007 08 में प्राविधानित धनराशि रू0 200,00,00,000/— (रूपये दो अरब मात्र) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 के निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। शासन द्वारा स्वीकृत उक्त धनराशि में से 150,00,00,000/ (रूपये एक अरब पचास करोड़ मात्र) इस कार्यालय के पत्र संख्या जीओ 197/सम्प्रेक्षा/महामाया आ0यो0/2007 08, दिनांक 4 जनवरी 2008 द्वारा अवमुक्त किया जा चुका है। शेष धनराशि रू0 50,00,00,000/ (रू0 पचास करोड़ मात्र) शासनादेश सं0 161/26 ब0प्र0 2008 500(15)/2007 दिनांक 11.03.2008 (छायाप्रति संलग्न) में दिये गये निर्देशानुसार संलग्नक में अंकित विवरण के अनुसार आपको निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्ध के अधीन आंबटित की जा रही है।

1 जनपदों द्वारा धनराशि का व्यय महामाया आवास योजना हेतु निर्गत शासनादेश संख्या 1785/38 8 07 13ब/06, दिनांक 10 09 2007 तथा शासन द्वारा समय समय पर निर्गत निर्देशो के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों की सीमा तक ही किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाय।

2 धनराशि का कोषागार से आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा। धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का अनुपालन किया जायेगा। लेखाधिकारी/वित्त नियंत्रक जैसी भी स्थिति हो उत्तरदायी होंगे।

3 स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का परिव्यय उपलब्ध है फिर भी यदि कोई गैप है तो उसे नियमानुसार पूरा करा लिया जाय। वित्तीय वर्ष के अन्त में यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे नियमानुसार समर्पित किया जायेगा।

4 धनराशि के उपयोग के पश्चात उसका उपयोग प्रमाण पत्र प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जायेगा तथा शासनादेश दिनांक 9 4 2007 तथा 8 5 2007 में दिये गये दिशा निर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के विरूद्ध निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सम्पूर्ण विवरण/सूचनाएं परीक्षण/सत्यापन हेतु समाज कल्याण विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

5 स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का व्यय किसी अन्य मद में नही किया जायेगा। ऐसा व्यय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित हो तो वह व्यय वांछित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाय।

6 धनराशि आहरित/व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेगे कि एस0सी0एस0पी0/ टी0एस0पी0 योजना हेतु निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया गया है

7 इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 के अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक "2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम आयोजनागत 800 अन्य व्यय 03 अनुसूचित जाति आवास योजना 20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता" के नामे डाला जायेगा।

8 आवंटित धनराशि के आहरण की सूचना, बाउचर संख्या एवं दिनांक सहित विलम्बतम प्रत्येक माह की 5 तारीख तक इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

9 केन्द्रीय रजिस्टर(आयोजनागत) के पृष्ठ 125 पर उक्त बजट आवंटन अंकित कर दिया गया है

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

12.3.08

(मनोज कुमार सिंह)
आयुक्त
ग्राम्य विकास,उ0प्र0।

पत्रांकः जीओ 218/सम्पेक्षा/ महामाया आ0यो0/07-08 उक्त तिथि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1 महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2 प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0शासन।

3 सम्बन्धित जिलाधिकारी, उ0प्र0।

4 सम्बन्धित परियोजना निदेशक/जिला विकास अधिकारी, उ0प्र0।

5 सम्बन्धित कोषाधिकारी, उ0प्र0।

6 वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग 3/नियोजन अनुभाग 4/ग्राम्य विकास अनुभाग-3/8

7 संयुक्त सचिव, उ0प्र0शासन बजट प्रकोष्ठ/समाज कल्याण को उनके पत्र संख्या 161(1)/26-भ0प्र0-2008-500(15)/2007, दिनांक 11-3-2008 के कम में।

(अवधेश कुमार)
अपर आयुक्त(लेखा)
ग्राम्य विकास,उ0प्र0

संख्या- 161 /26-ब0प्र0-2008-500(15)/2007

प्रेषक,

राम गणेश,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

1555/PA/CRD/08
11-3-08

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण | लखनऊ : दिनांक: 11 मार्च, 2008

विषय:- अनुसूचित जाति आवास योजना (महामाया आवास योजना) वर्ष 2007-08 में स्वीकृत धनराशि में से मात्राकृत धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-235/महा0आ0यो0/2008 दिनांक 01 फरवरी, 2008 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा शासनादेश संख्या-504/26-ब0प्र0-07-13ब/06, दिनांक 20.12.07 द्वारा वित्तीय स्वीकृति विषयक निर्गत शासनादेश के प्रस्तर 4 में मात्राकृत धनराशि रू0 50.00 करोड़ के व्यय के सम्बन्ध मे दिशा निर्देश चाहे गये है ।

2- प्रकरण पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त धनराशि रू0 50.00 करोड़ बाढ़ प्रभावित जनपद-बहराइच, गोरखपुर, बलिया, लखीमपुरखीरी, श्रावस्ती, बलरामपुर, महराजगंज, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, गोंडा, तथा सूखा प्रभावित जनपद-ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट एवं नक्सल प्रभावित जनपद-मिर्जापुर, सोनभद्र, चन्दौली को संलग्न जनपदवार फॉट के अनुसार अनुसूचित जाति आवास योजना (महामाया आवास योजना) के क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध कराई जायेगी ।

3- धनराशि का व्यय महामाया आवास योजना के क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर निर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार किया जायेगा । स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का वहन शासनादेश संख्या-504/26-ब0प्र0-07-13ब/06, दिनांक 20.12.2007 द्वारा निर्गत धनराशि से किया जायेगा ।

4- इस सम्बन्ध मे मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि कृपया स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का जनपदवार फॉट सम्बन्धित जनपदों को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि धनराशि का आहरण करते हुए योजना के निर्धारित अतिरिक्त लक्ष्यों को पूरा किया जा सके ।

संलग्नक: जनपदवार फॉट

भवदीय,

(राम गणेश)
संयुक्त सचिव ।

ग्राम्य विकास उ0प्र0

संख्या- (1)/26-ब0प्र0-2008-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, [illegible] इलाहाबाद ।
2- सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी ।
3- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
4- सम्बन्धित परियोजना निदेशक/जिला विकास अधिकारी ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-[illegible]/नियोजन-4
6- कम्प्यूटर/गार्डफाइल/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ ।

आज्ञा से,

(आर0डी0 कल्याण)
अनु सचिव ।

12/3/08

शासनादेश सं0— 161 /26—व0प्र0—08—500(15)/07, दिनांक 11 —03—2008 का संलग्नक। अनुसूचित जाति आवास योजना (महामाया आवास योजना) में वर्ष 2007—08 में धनराशि की स्वीकृति :—

क्र0	जनपद का नाम	स्वीकृत की जा रही धनराशि (लाख रूपये में)
1	2	3
1	बहराइच	200.00
2	गोरखपुर	150.00
3	बलिया	150.00
4	लखीमपुर—खीरी	100.00
5	श्रावस्ती	200.00
6	बलरामपुर	100.00
7	महराजगंज	100.00
8	सिद्धार्थ नगर	100.00
9	कुशीनगर	200.00
10	गोंडा	150.00
11	ललितपुर	350.00
12	झांसी	300.00
13	जालौन	300.00
14	हमीरपुर	300.00
15	महोबा	350.00
16	बॉंदा	500.00
17	चित्रकूट	750.00
18	मिर्जापुर	200.00
19	सोनभद्र	300.00
20	चन्दौली	200.00
	योग	5000.00

(रु० पचास करोड़ मात्र)

(आर० डी० कल्याण)
अनु सचिव।

पत्रांक–जीओ–218 / सम्प्रेक्षा / महामा0आ0यो0 / 2007–08, दिनांक 12 मार्च–2008
का संलग्नक वर्ष 2007–08 के लिए अनुसूचित जाति आवास योजना
(महामाया आवास योजना) के अन्तर्गत धनराशि का आवंटन (रूपये लाख में)

क0 सं0	जनपद का नाम	अवमुक्त की जा रही धनराशि	प्रगामी योग
1	2	3	4
1	मेरठ	0.00	9.72
2	गाजियाबाद	0.00	0.00
3	बुलन्दशहर	0.00	30.17
4	गौतमबुद्धनगर	0.00	44.97
5	बागपत	0.00	0.00
6	सहारनपुर	0.00	67.87
7	मुजफ्फरनगर	0.00	7.12
8	मुरादाबाद	0.00	3.35
9	बिजनौर	0.00	90.57
10	रामपुर	0.00	31.50
11	ज्योतिबाफूलेनगर	0.00	43.70
12	बरेली	0.00	107.62
13	बदायूं	0.00	179.80
14	शाहजहांपुर	0.00	244.12
15	पीलीभीत	0.00	96.75
16	आगरा	0.00	83.97
17	अलीगढ	0.00	54.75
18	मैनपुरी	0.00	51.02
19	एटा	0.00	12.72
20	मथुरा	0.00	25.50
21	फिरोजाबाद	0.00	70.70
22	हाथरस	0.00	14.42
23	झांसी	300.00	375.90
24	जालौन	300.00	446.82
25	ललितपुर	350.00	436.60
26	बांदा	500.00	735.59
27	हमीरपुर	300.00	374.02
28	महोबा	350.00	444.05
29	चित्रकूट	750.00	848.51
30	इलाहाबाद	0.00	324.57
31	फतेहपुर	0.00	381.35
32	प्रतापगढ	0.00	286.50
33	कौशाम्बी	0.00	238.50
34	कानपुरनगर	0.00	169.70
35	कानपुरदेहात	0.00	361.30
36	इटावा	0.00	94.12
37	फर्रूखाबाद	0.00	73.10

may release xls 222 10 12 07.xls

क0 सं0	जनपद का नाम	अवमुक्त की जा रही धनराषि	प्रगामी योग
1	2	3	4
38	कन्नौज	0.00	106.67
39	औरैया	0.00	141.55
40	वाराणसी	0.00	83.25
41	गाजीपुर	0.00	386.22
42	जौनपुर	0.00	391.32
43	चन्दौली	200.00	414.87
44	मिर्जापुर	200.00	571.80
45	सोनभद्र	300.00	608.65
46	संतरविदासनगर	0.00	185.05
47	लखनऊ	0.00	262.30
48	सीतापुर	0.00	1007.65
49	उन्नाव	0.00	668.62
50	हरदोई	0.00	789.55
51	खीरी	100.00	911.52
52	रायबरेली	0.00	511.70
53	गोरखपुर	150.00	330.55
54	देवरिया	0.00	153.35
55	कुशीनगर	200.00	950.40
56	महराजगंज	100.00	188.10
57	बस्ती	0.00	101.97
58	सिद्धार्थनगर	100.00	182.51
59	संतकबीरनगर	0.00	223.11
60	आजमगढ	0.00	509.26
61	मऊ	0.00	266.28
62	बलिया	150.00	463.71
63	फैजाबाद	0.00	137.81
64	बाराबंकी	0.00	809.08
65	सुल्तानपुर	0.00	182.81
66	अम्बेडकरनगर	0.00	230.81
67	गोण्डा	150.00	462.81
68	बहराइच	200.00	362.73
69	बलरामपुर	100.00	169.76
70	श्रावस्ती	200.00	373.26
	योग	5000.00	20000.00

(रूपये पचास करोड़ मात्र)

(अवधेश कुमार)
अपर आयुक्त (लेखा)
ग्राम्य विकास,उ0प्र0।

may release.xls 222 10 12 07.xls